न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 21/2020 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता निवासी ग्राम बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, बस्सी) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः 05.01.2021

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 09.10.2020 को रंजिस्टर्ड आवेदन-पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बस्सी के कार्यालय को भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बस्सी द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 01.12.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, बस्सी) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील मीमो का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2020 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि कार्यालय में संधारित है तो निर्णय प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में अपीलांट को निःशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 05/01/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर-प्रथम,जयपुर

Scanned with CamScanner